संख्या-112/2021/1340/22-4-2021-48(9)/2020

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 26 नवम्बर, 2021

विषय- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदानित बॉडी वार्न कैमरों के प्रयोग से बन्दी सुधार के पायलेट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु क्रयानुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-95/2021/493/22-4-2021-48(9)/2020, दिनांक-03.09.2021 एवं अपने पत्र संख्या-34613/आधु0-01/बा0वा0कै0/2020, दिनांक-01.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक-11.10.2021 में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदानित धनराशि से प्रदेश की 10 कारागारों क्रमशः केन्द्रीय कारागार नैनी (प्रयागराज) एवं जिला कारागार सीतापुर, कानपुर नगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ तथा मुजफ्फरनगर में 6-6 बॉडी वार्न कैमरों के प्रयोग से बन्दी सुधार के पायलेट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जैम पोर्टल) के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 79,90,000/-(रूपया उन्नयासी लाख नब्बे हजार मात्र) को मैसर्स स्टैक्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जेएमडी रिजेन्ट प्लाजा माल, गुड़गॉव, हरियाणा के पक्ष में उक्त सीमा तक कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

(1) प्रश्नगत क्रय केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली के अन्तर्गत मात्रा अनुबन्ध के अधीन मामलों से संबन्धित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0/2017, दिनांक-15 जनवरी, 2018 का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रश्नगत उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद्ध आपूर्ति और उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(4) आपूर्तिकर्ता फर्म एवं महानिरीक्षक कारागार के मध्य क्रय से पूर्व सम्यक् अनुबन्ध किया जायेगा।

(5) क्रय की गयी सामग्री का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपयोग की वित्तीय/भौतिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) स्वीकृति धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2022 तक कर लिया जायेगा ।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-112/2021/1340(1)/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
3- अनु सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in